प्र इनिशियल्स जज

कार्य/अ... रहने के कारण ...24 की तारीख ...निश्चित की ...7-24

कार्य/अवकाश/ रहने के कारण ...24 की तारीख ...निश्चित की ...9-24

... कार्य/अ... रहने के कारण ...-24 की तारीख ...निश्चित की 3-12-24

...कार्य/अवकाश/ ...त रहने के कारण 2-2-25 की तारीख ...3-12-25

नम्बर अहकाम ... की तामील

— 21/2023 उनवानः— साबिर खान बनाम संरपच ग्राम पंचायत किस्मः— अपीलनामान्तकरण

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

...सीन अधिकारीः— अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
...1/2023	29.09.2023	30-1-25

1. साबिर खान पुत्र अलानूर खान जाति मुस्लमान निवासी सब्जी मण्डी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. ताहिर पुत्र कमरूद्दीन जाति मुस्लमान निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्टस्

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. रमेश पुत्र रामफूल माली
3. लड्डू पुत्र काना माली
4. कैलाश पुत्र काना माली
5. प्रहलाद पुत्र काना माली
   जरिये मुख्तयार आम मोहम्मद उमर पुत्र अलानूर जाति मुस्लमान निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पोण्डेन्ट

अपील विरूद्व नामांतकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 21.08.2023 ग्राम पंचायत शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थितः—

1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत एड0 प्रार्थी की ओर से।

:— निर्णय —:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील विरूद्व नामांतकरण संख्या 599 ...र्णय दिनांक 21.08.2023 ग्राम पंचायत शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर। ...श किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ...पीलान्टस् ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 202303318102238 दिनांक 22. ...3.2023 आराजी खसरा नं0 502 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम शेरपुर में रमेश पुत्र ...मफूल माली का हिस्सा 2/63, लड्डू पुत्र काना माली का हिस्सा 5/27, कैलाश ...त्र काना माली का हिस्सा 5/27 प्रहलाद पुत्र काना माली का हिस्सा 5/27 क्रय ...किया था। जिसका नामान्तकरण सं... 599 दिनांक 20.07.23 को पटवारी हल्का ...रा दर्ज किया गया एवं भू-अभिलेख निरीक्षक खिलचीपुर द्वारा दिनांक 20.07.23 को ...ांच कर सही होने की रिपोर्ट के बावजूद इसके दिनांक 21.08.23 को ...रपंच ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। जिससे ...व्यथित होकर यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं:— जैर निर्णय ...धिनस्थ न्यायालय विपक्षी संख्या 1 विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रमाये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र में क्या तराज किया गया जिसका अंकन नहीं होने से भी जेर निर्णय मनमाना एवं विधि विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण कानून ारिज नही फरमाया जा सकता है इसलिए भी जेर निर्णय मनमाना होने से खारिज ोग्य होने से खारिज फरमाया जावें । अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुचित मांग ी पूर्ति नही होने के कारण निर्णय जैर नामान्तकरण संख्या 559 मनमाने ढंग से ारिज किया है जो विधि विरूद्व होने से जैर निर्णय काबिले खारिज हैं। रेस्पोडेन्ट धीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए र निर्णय पारित किया है जबकि रजि० विक्रय पत्र के नामान्तकरण को जब तक जि0 विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता निरस्त नहीं रमाया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी न्यायालय के ादेश/स्थगन आदेश जैर निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का र निर्णय विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय इस बिन्दू पर भी गोर नही किया कि जैर नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा ांच कर दर्ज किया गया है तथा मू0अ0 निरीक्षक द्वारा जांच की अंकन सही है ा अंकन किया है इसके बावजूद भी मू0अ0निरीक्षक की टिप्पणी के विपरीत जाकर नमाने ढंग से अनुचित मांग की पूर्ति नही होने के कारण जैर नामान्तकरण विधि रूद्व खारिज कर अहम् भूल की है इसलिए भी जैर निर्णय खारिज फरमाये जाने ोग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं ो दिनांक 21.08.23 को अपीलार्थी का कोई सूचना किये वगैर व सुनवाई किये ैर मनमाने ढंग से विधि विरूद्व अस्पष्ट, अपूर्णय निर्णय अनुचित मांग की पीलार्थी द्वारा पूर्ति नही किये जाने पर पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने कारण काबिले खारिज हैं। रेस्पोडेन्ट नं0 6 तहसीलदार स०मा० लैण्ड होल्डर ने में पक्षकार बनाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के जैर निर्णय की जानकारी टवारी हल्का से दिनांक 21.09.23 को हुई जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक .09.23 को नकल प्राप्त होने से जानकारी से अपील अन्दर अवधि उचित न्याय ल्क पर प्रस्तुत है फिर भी मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को होने से मान् को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय का जैर निर्णय इल्लीगल ाकरेक्ट व इम्प्रोपर होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। शेष उजात वरवक्त हस मौखिक अर्ज किये जावेगें । अतः अपील पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलार्थी ीकार फरमाई जाकर जैर नामान्तकरण संख्या 559 ग्राम शेरपुर में पारित अधीनस्थ ायालय का निर्णय दिनांक 21.08.23 खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थी के पक्ष नामान्तकरण निर्णित फरमाते हुए तहसीलदार स०मा० को राजस्व रिकॉर्ड माबन्दी में अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस तलबी ा गयी। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 की जरिये ... न्यायालय में उपस्थित ये।

प्रकरण में वकील अपीलांट की बहस सूनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस बताया है कि अपीलान्टस् ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 2303318102238 दिनांक 22.06.2023 आराजी खसरा नं0 502 रकबा 0.51 है0

उप जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

ाके ग्राम शेरपुर में रमेश पुत्र रामफूल माली का हिस्सा 2/63, लड्डू पुत्र काना ाली का हिस्सा 5/27, कैलाश पुत्र काना माली का हिस्सा 5/27, प्रहलाद पुत्र ाना माली का हिस्सा 5/27 क्रय किया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 559 ्नांक 20.07.23 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया एवं भूoअoनिरीक्षक ्रलचीपुर द्वारा दिनांक 20.07.23 को जांच कर सही होने की टिप्पणी की गई ावजूद इसके दिनांक 21.08.23 को सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा नामान्तकरण ारिज कर दिया गया। जो गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किये ाने की कृपा करें।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलांट की स्वीकार की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की विद्वान वकीलो की बहस का मनन किया तथा उपलब्ध ्कार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत शेरपुर के नामान्तकरण ्ख्या 559 दिनांक 20.07.23 का अवलोकन किया जो पटवारी हल्का द्वारा दर्ज ्या गया एवं भूoअoनिरीक्षक खिलचीपुर द्वारा दिनांक 20.07.23 को जांच कर ही होने की टिप्पणी की गई बावजूद इसके दिनांक 21.08.23 को सरपंच ग्राम ्चायत शेरपुर द्वारा उक्त नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया। जो गलत है। तः अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है। अपीलान्टस् द्वारा राजस्व ्म शेरपुर में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 202303318102238 दिनांक 22.06.2023 ्रा खसरा नं0 502 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम शेरपुर में रमेश पुत्र रामफूल माली हिस्सा 2/63, लड्डू पुत्र काना माली का हिस्सा 5/27, कैलाश पुत्र काना माली हिस्सा 5/27, प्रहलाद पुत्र काना माली का हिस्सा 5/27 क्रय किया था। उक्त ्रय पत्र जॉच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ्या जावें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को जवायी जावें। निर्णय आज दिनांक 30-1-25 को मेरे द्वारा टंकित कराया ्कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner